

न्यायालय : आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

कमांक / / 2023

गुना, दिनांक

- :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अक्टूबर एवं नवंबर 2023 ::-

माह अक्टूबर एवं नवंबर 2023 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य की जावेगी।

- :: जिला न्यायिक स्थापना-गुना ::-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अक्टूबर 2023	माह नवंबर 2023
1	श्री मुनेंद्र सिंह वर्मा	01-10-2023 02-10-2023	-
2	श्री मोहित श्रीवास्तव	-	11-11-2023 12-11-2023
3	श्रीमती सरिता डाबर वास्कले	-	13-11-2023 14-11-2023 18-11-2023
4	श्री निशांत मिश्रा	21-10-2023 22-10-2023	-
5	श्री अभिजीत सिंह वास्कले	-	05-11-2023 19-11-2023 15-11-2023
6	श्री सोनू जैन	08-10-2023	10-11-2023 26-11-2023
7	श्रीमती ऋचा द्विवेदी	29-10-2023	27-11-2023
8	श्री अंकित भुजंग	15-10-2023 23-10-2023 24-10-2023	-

- :: तहसील न्यायिक स्थापना-राघौगढ ::-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अक्टूबर 2023	माह नवंबर 2023
----	---------------------------------	------------------	----------------

1	डॉ. श्री आरिफ़ खान पटेल	29-10-2023	05-11-2023 12-11-2023 13-11-2023
2	श्रीमती गुंजन शर्मा	01-10-2023 02-10-2023 21-10-2023 22-10-2023	-
3	श्री हर्षवर्धन रावत	15-10-2023	15-11-2023 26-11-2023 27-11-2023
4	श्री आशीष शर्मा	08-10-2023	10-11-2023 11-11-2023 14-11-2023
5	श्री रवि तंवर	23-10-2023 24-10-2023	18-11-2023 19-11-2023

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–आरोन ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अक्टूबर 2023	माह नवंबर 2023
1	सुश्री रेनू खेस	01-10-2023 08-10-2023 15-10-2023 29-10-2023	10-11-2023 11-11-2023 12-11-2023 13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023
2	श्री हीरालाल सिसौदिया	02-10-2023 21-10-2023 22-10-2023 23-10-2023 24-10-2023	05-11-2023 18-11-2023 19-11-2023 26-11-2023 27-11-202

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–चांचौडा ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अक्टूबर 2023	माह नवंबर 2023
1	श्री भारत सिंह कनेल	15-10-2023 22-10-2023 23-10-2023 24-10-2023 24-10-2023	05-11-2023

2	श्रीमती अंकाक्षा कात्याल	21-10-2023 01-10-2023 29-10-2023	26-11-2023 27-11-2023
3	सुश्री अंजना यादव	08-10-2023	10-11-2023 11-11-2023 12-11-2023 13-11-2023
4	सुश्री चेतना दशोरा	02-10-2023	14-11-2023 15-11-2023 18-11-2023 19-11-2023

नोट—

1— माह **अक्टूबर+नवंबर 2023** के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में गुना, आरोन, राघौगढ एवं चांचौडा न्यायिक स्थापना पर उक्त दिनांक की माह **अक्टूबर** में रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन श्री निशांत मिश्रा, श्री हीरालाल, श्री आशीष शर्मा, सुश्री चेतना दशोरा तथा माह **नवंबर** में श्री सोनू जैन, सुश्री रेणू खेस, श्री रवि तंवर, श्रीमति आंकाक्षा कात्याल के द्वारा किया जावेगा।

2— उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

3— सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4— सावजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

5— समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने

की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

नोट :-

प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री दिव्यांशु गुप्ता एवं सुश्री डिंपल चौधरी माह अक्टूबर एवं नवंबर 2023 में जिला न्यायिक स्थापना गुना में प्रत्येक माह के किन्ही भी तीन सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर रिमांड न्यायालय में उपस्थित रहकर संबंधित मजिस्ट्रेट से रिमांड संबंधी प्रशिक्षण लेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रशिक्षण समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संबंधित न्यायिक अधिकारी को अवगत कराया जावे।

विशेष :-यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

(आशीष प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)